(1800/RP/SJN)

No, temple is not different. … (*Interruptions*) Let me complete. The hon. Minister told that in his speech.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने वालों की सूची लंबी है। अगर सभा की सहमति हो, तो सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, please see the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988. Here, in clause 5A, it is mentioned: -

> "The Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be the ex-officio Chairman of the Board, and if 2 [the Lieutenant Governor] be not a Hindu, then he may nominate an eminent person professing Hindu religion and qualified to be a member;"

Here, I agree, this should be the provision. I am totally supporting this provision. Then, why are you discriminating in the Waqf Board? The Waqf Board is also based on religion.… (*Interruptions*)

Hon. Member Radhakrishnanji talked about the Devaswom Board in Kerala where the member has to be selected by elected Hindu MLAs. A Muslim MLA cannot vote for Devaswom Board member. The Devaswom Board is also looking after the property of the temples. … (*Interruptions*) Rijuji, the Devaswom Board is also looking after the administration of the temples and properties of the temples. … (*Interruptions*) Neither the Muslim MLA nor the Christian MLA has the voting power for selecting a Devaswom Board member. Now, you are telling us: "Here, it is different." This is direct attack on the Constitution. You are clearly exhibiting discrimination in relation to the equality of the law. Then, you are telling us that it is not anti-Constitution. How can you say like this?

Hon. Minister Shri Rijijuji and hon. Member Anuragji have quoted the CBCI's statement. I am very much glad to see that. Now, Kiren Rijijuji was very much aware of CBCI and KCBC. I would like to tell him how the Vishva Hindu Parishad, the so-called Sangh Parivar organisation, was formed against the 'Papal visit'. At that point in time, they told: "Pope is coming for conversion. We need to form an organisation, the Vishva Hindu Parishad."

I would like to quote the CBCI statement. What are the final words of the statement Rijiju ji? The final words are: "At the same time, the rights of religious minorities, as guaranteed by the Constitution, must be safeguarded." This is also their statement. How many churches have been attacked? How many times the CBCI told that the Government has to take action against these attacks on churches?

About 753 churches have been attacked in your period. They have given memorandum. There are many churches in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and in Manipur, which have been attacked. That is why, Radhakrishnan said: “Today, you are targeting Muslims. Yesterday, you have abolished the Anglo-Indian representation in the Parliament.”

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, क्या आजकल केरल में राधाकृष्णन जी और आप एक हो गए हैं?

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, these Anglo-Indians are minute minority of this country. They believed in Christianity. There used to be two Anglo-Indians in this Parliament. What harm have they done to you? What is the reason to withdraw their nomination?

(1805/VR/SPS)

What is the reason to withdraw that? What is the intention behind the conversion law in Karnataka by the BJP Government? Mr. Prahlad Joshi ji, please tell me, what the intention behind the conversion law in Karnataka is. Whom did you target? In Jharkhand, they attack against Christians. In Madhya Pradesh, they attack against Christians. In Chhattisgarh, they attack against Christians. My point is that today you are against Muslims. Tomorrow it will be against Christians. Day after tomorrow, it will be against Sikhs. Then, it will be against Jains. Therefore, your target is to establish Sangh Parivar’s agenda to destroy minorities of this country. This is the hidden agenda to attack the freedom of religion in this country. This is the clear agenda.

You have decided something to win the elections. We saw that. *....(Interruptions)* What was that, Sir? We saw the famous Banswara speech of the hon. Prime Minister. I do not want to repeat it here. *....(Interruptions)* You have to understand that you have a great responsibility. You are ruling this great democratic country. The entire world is looking for you. The way in which you are legislating, the world is looking for you. You are going abroad. You are going everywhere. You are trying to be a world leader. But here, in the name of religion, you are trying to divide the people of this country. The world is looking for that. *....(Interruptions)* You are trying to divide the country for political benefit. That is what is exactly happening.

Sir, there is one provision in the proposed Bill. My colleague, Shri Gaurav Gogoi and some other friends spoke about that provision. I also want to know who will identify the person who has professed Islam for five years.? Kiran Rijiju ji, are you going to start a separate portfolio for finding out five-year professing Muslims? *....(Interruptions)* Are you going to start a separate Department for that? Is it going to

stand in the Rule of Law? How can you identify that? That is the beauty of this country. Anybody, who believes in any religion, at any point of time, has the freedom. Now, you are totally restricting that freedom. You are asking, if you are a believer for five years, then only you can do waqf. What is it?

Sir, there is one famous temple known as Attingal temple in Kerala. There lakhs of women do puja. We call it Pongala. It is going on this time also. Mr. Suresh Gopi was also there. When that Pongala happens, lakhs of women worship the God without food. They do sacrifice for three or four days. On the way to temple, there is Christian Church on the one side of the temple and Muslim Mosque on the other side of the temple. The priest from the Mosque comes and gives water to these devotees. People from the Church also come and give water to these devotees going to temple. This is the atmosphere of this country.

Take another example of Sabarimala temple. I used to go there every year. Last year was my 35th year going to Sabarimala. I go to Guruvayur temple every month. I am a believer in the Hindu religion. But my religion teaches me, *'Lokah Samastah Sukhino Bhavantu*,' 'May everyone, in the whole world, be happy.' We do not hate people for mere votes. You want to divide this country in the name of religion.

Then, you did not believe the people on delivery because you did not deliver at all. You did not give employment. You did not give anything to the people. You only believe in dividing the people on the basis of religion. Therefore, I think you should be a little bit broad-minded. The Ruling Party should show a little bit of broad-mindedness. *....(Interruptions)* You are talking about the Munambam temple. That has also been mentioned. There are concerns raised about the Christian churches. We are wholeheartedly supporting these issues. We are with the people. These people should get justice.. *....(Interruptions)*

(1810/SNT/KDS)

There is no doubt about it. … (*Interruptions*) Everybody knows that. That is why, I mentioned about the origin of the Vishwa Hindu Parishad; that is why, I mentioned about the Manipur incident; and that is why, I mentioned about the church attack. Now you are going for bishops. They will understand who you are and your real figure. They will understand it. We are 100 per cent with the tenants of Munambam. They want a legal remedy. We will stand for that. But in the name of all these things, targeting religious freedom is going to have consequences. The Government is not bothered about these consequences. This country wants peace, harmony, and togetherness. This Bill is going to shatter that.

With these words, I am concluding, Sir. (ends)

1811 hours

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मेरे साथी मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सुबह 12 बजे से जो चर्चा चल रही है, उसको मैंने बारीकी से सुना है। … (व्यवधान) मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी हैं। कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो मंत्री रिजीजू साहब देंगे। कुछ बातें, जो यहां पर रखी गई हैं, उनको मेरी समझ के हिसाब से मैं जरूर क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है। आज-कल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर सम्पत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान।

मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ अभी जो हम समझ रहे हैं, वह इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से आज की भाषा में इसकी व्याख्या करें, तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एनडोवमेंट है, जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए बिना उसे वापस लेने के उद्देश्य से दान करता है, वहां वक्फ की रचना होती है। इसमें 'दान देता है' का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है, जो हमारी है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है, जो हमारी है।

मान्यवर, इसी विषय पर यह सारी बहस चल रही है। जहां तक भारत का सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मोहम्मद गोरी के समय पर वक्फ पहली बार अस्तित्व में आया।

(1815/YSH/AK)

यह अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में यह चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ एक्ट, 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेंटिग एक्ट अस्तित्व में आया और तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थीं।

मान्यवर, आजादी के बाद 1954 में उसी एक्ट को वक्फ के केन्द्रीकरण के लिए बदला गया। 1995 में वक्फ न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड, ये 1954 व 1964 में आए। यह पूरा झगड़ा जो चल रहा है कि आपने गैर-मुस्लिम को रखा और वह झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो वक्फ में कोई भी गैर-इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। यह स्पष्टता आप समझ लीजिए कि न तो मुतवल्ली गैर-इस्लामिक होगा और न वाकिफ गैर-इस्लामिक होगा।

मान्यवर, वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। धार्मिक संस्थाओं का जो संचालन करते हैं, उसमें कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान हमने किया भी नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए जो लोग बड़े-बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया है, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी,

ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।

मान्यवर, यह जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनकी दान की हुई सम्पत्ति के अंदर दखल करने का है, यह बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनोरिटी को डराकर अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए किया जा रहा है।

मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ परिषद में और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे। उनका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को चलाने का नहीं है। वे शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून है, दान के लिए किसी के द्वारा दी गई सम्पत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है या फिर दान जिस चीज के लिए दिया गया है जैसे इस्लाम धर्म के लिए दिया गया है, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है, उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका नियमन करने का काम करेंगे।

मान्यवर, ये इसे बाकी सारे धर्मों के साथ कम्पेयर करते हैं और कहते हैं कि इसमें दखल की गई है। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे वक्फ है, वैसे ही हमारे यहां पर ट्रस्ट एक्ट है। ट्रस्ट के अंतर्गत जो ट्रस्ट को बनाते हैं, वे ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होता है। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सब इस्लाम के अनुयायी हैं। ऐसा आप कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है, जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो वक्फ में भी नॉन-इस्लामिक आदमी चाहते हैं।

मान्यवर, ये क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है, जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता हो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई है।

(1820/RAJ/UB)

… (व्यवधान) वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई।…(व्यवधान)

मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज वे होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियंस होंगे, अगर वह ट्रस्ट पारसी के लिए होगा, तो पारसी होंगे, हिन्दू के लिए ट्रस्ट होगा, तो हिन्दू होंगे। अब हम कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ कि चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है। चैरिटी के कानून के हिसाब से वह ट्रस्ट चले, उसको उसकी देखरेख करनी है। यह धार्मिक नहीं है। यह धर्म का काम नहीं है।

मान्यवर, यह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसलिए फिर चैरिटी कमिश्नर हिन्दू होगा तो वह किश्चियनों के ट्रस्ट की कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिन्दुओं के ट्रस्ट

की देखरेख कैसे करेगा? अब बताओ कि ये सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग-अलग बने? आप लोग देश तोड़ दोगे।

मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों-बहनों को कहना चाहता हूं कि आपके वक्फ में एक भी नॉन-मुस्लिम नहीं आएगा। इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मगर जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है - मान्यवर, वक्फ की संपत्तियों को बेच खाने वाले लोगों को पकड़ कर इसके बाहर निकालना। वक्फ के नाम पर औने-पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 सालों तक किराए पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। यह पैसा जो चोरी होता है, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करेगा।

मान्यवर, वे चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली-भगत चली, वह चलती रहे, यह नहीं चलेगी। मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है? मान्यवर, सब ने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ के वर्ष 2013 में अमेंडमेंट्स आएं। अब बिल किरेन भाई का है। मगर मैं कह सकता हूं कि अगर वक्फ का वर्ष 2013 का अमेंडमेंट न किया गया होता, तो यह बिल लाने की शायद जरूरत ना पड़ती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वर्ष 2014 में चुनाव होने वाला था। वर्ष 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, वह 25 दिन दूर था तो उसे वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांवों पर वक्फ का स्वामित्व हो गया, तब तमिलनाडु में और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया।... (व्यवधान) ये जब मंदिर... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात कह दीजिएगा। प्लीज बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तो अपनी बात कह देना। आप भी बहुत मिसलीड करते हैं। आप बैठ जाइए।

गृह मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं कनार्टक की मनीपट्टी समिति की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप खड़े मत हो जाना। यह मनी पट्टी समिति की रिपोर्ट है। वक्फ की 29000 एकड़ भूमि बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी।

(1825/SK/GM)

वर्ष 2001 से 2012 के बीच दो लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज़ पर हस्तांतरित कर दी गई। ... (व्यवधान) बंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा करके उसे विवाद में डाला। जिस भूमि का मूल्य 500 करोड़ रुपये है, फाइव स्टार होटल को 12,000 महीने किराये पर दे दी। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा करके इसे विवाद में डाला।

मान्यवर, ये कहते हैं कि इसका हिसाब-किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। यह पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, धन्ना सेठों की चोरी के लिए नहीं है। ... (व्यवधान) इसे रोकने के लिए है। इनके जो ठेकेदार बैठे हैं, जो यहां गरज-गरज कर बोलते हैं, कुछ तो समझे बगैर बोलते हैं और कुछ समझकर बोलते हैं, उनको लगता है कि इससे वे जीत जाएंगे। कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, तलिपरम्बा में 75 साल पुराने दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन पर दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा किया।

महोदय, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध करके मुस्लिम भाइयों की सिम्पेथी जीतकर अपना वोट बैंक पक्का करेंगे। अखिलेश जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चार सालों में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। दक्षिण के सारे सांसद जो बोल रहे हैं, अपनी कांस्टीटुएंसी में सारे चर्चों को नाराज कर रहे हैं, यह उनको पता नहीं है। सारे चर्चों ने रिज़ॉल्व किया है कि वे इसका समर्थन करते हैं।

मान्यवर, तेलंगाना में 66 हजार करोड़ रुपये की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मुर्री गांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। मैं बिहार के बारे में लालू जी की बात कोट के साथ बाद में बताऊंगा। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि वक्फ को सौंप दी। प्रयागराज में चन्द्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के वडानागे गांव में महादेव के मंदिर पर दावा किया। बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली।

महोदय, यह सब जो चल रहा है, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि वक्फ, जो मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और दान से बना ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा और वक्फ भी उनका होगा। क्या वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं? वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है या निजी उपयोग के हिसाब से हो रहा है? सैंकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहते हैं कि धर्मादा किया तो क्या इस संपत्ति को आप 12,000 रुपये में पांच सितारा होटल के लिए दे देंगे? क्या यह उचित है? इस पैसे से गरीब मुसलमानों का कल्याण कीजिए, इस पैसे से तलाकशुदा महिलाओं का कल्याण कीजिए, इस पैसे से अनाथ बच्चों का कल्याण कीजिए और बेरोजगार

मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम कीजिए। ये लाखों करोड़ रुपये की भूमि है और इनकम 126 करोड़ रुपये है।

(1830/KN/SRG)

रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों-करोड़, लाखों-करोड़ रुपये का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपये है। मान्यवर, ये कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : मुसलमानों ने आपके पास आकर बोला है? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाओ। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं। यह बात बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले हैं। जब वर्ष 2013 में अमेंडमेंट आया था, तो मैं लालू जी का भाषण पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा–

मैडम, सरकार ने जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा। मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिये कि सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, सब पर अपार्टमेंट्स बन गए। इस तरह की काफी लूट-खसोट हुई है। आप संशोधन विधेयक अंत में लाए हैं, हम संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइये और जो चोरी करने वाले लोग हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिये।

लालू प्रसाद जी की इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की, नरेन्द्र मोदी जी ने पूरी कर दी। यह लालू जी ने कहा था कि एक कड़ा कानून लाइये।

मान्यवर, सरीफुद्दीन शरीफ ने कहा– मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइये। उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइये और उन्होंने जो कब्जे किए हैं, उन जमीनों को बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिये। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्ष्यद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है।

मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2013 में जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, वह है। इससे क्या होगा? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने का सिस्टम ही नहीं है। वह होगी और रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बैलेंसशीट जमा करनी पड़ेगी। ऑडिट होगी, कैग द्वारा नियुक्त ऑडीटर या नामित अधिकारी ऑडिट करेंगे। इससे पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए? पारदर्शिता से क्यों डरे? वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद का कोई ऑर्डर, हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपने तो कर दिया था कि ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता है। वहां पूरा संविधान समाप्त कर दिया। हम तो कहते हैं कि कायदे से अदालत में कोई भी चैलेंज कर सकता है। इस देश में संविधान का राज है।

जिसका भी ग्रीवेंस हो, वह कोर्ट में जा सकता है। वर्ष 2013 में, जिसकी भूमि हड़पी, उसके ग्रीवेंस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था।

मान्यवर, ये एक अफवाह और फैला रहे हैं कि यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन में बोलते वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर इस कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस कानून का अमल, जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, उस दिन के बाद वह लागू होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा।

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ, जो बता सकते हैं कि अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है, वह हमारे देश में कौन तय करता है?

(1835/VB/RCP)

यह सबको मालूम है कि यह कलेक्टर करता है। रेवेन्यू ऑफिसर वही होता है। अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है, वह उसकी है या नहीं, इसकी जाँच कलेक्टर करे, तो इसमें क्या आपत्ति है? वक्फ तो दान है और दान अपनी सम्पत्ति का किया जा सकता है, यह किसी और की सम्पत्ति का नहीं किया जा सकता है। गांव से कोई अमेरिका चार महीने के लिए घूमने जाता है और वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सम्पत्ति वक्फ घोषित हो गई। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, जब वह वापस जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सम्पत्ति वक्फ घोषित हो गई। ऐसा नहीं होता है। कलेक्टर से पूछना पड़ेगा। यह सरकारी सम्पत्ति है या नहीं है, इसकी जाँच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ढेर सारे मन्दिर बनते हैं, बने भी हैं और बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, क्या ये सरकारी सम्पत्तियों पर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। जहाँ वक्फ की घोषणा होती है, वह भूमि सरकारी है या नहीं है, उसे सत्यापित करना ही चाहिए और इसे कलेक्टर के अलावा और कोई सत्यापति नहीं कर सकता है।

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा।

मान्यवर, उपयोग के आधार पर वक्फ की समाप्ति हुई। ये कह रहे हैं कि सैंकड़ों सालों से वहाँ प्रैक्टिस है, वह तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने वक्फ घोषित कर दिया और वक्फ में रजिस्टर भी हो गया। अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैंकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस क्या आज घोषित की जा सकती है? अगर वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो लोग देखते होंगे, अगर वहाँ कब्रिस्तान होगा, तो लोग देखते होंगे, दरगाह होगी, तो लोग देखते हैं। वह घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अगर अब वक्फ घोषित करना है, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसे अधिकृत करना होगा।

मान्यवर, किरेन जी जो इसमें दूसरा सुधार लेकर आये हैं, वह यह है कि धारा 36 में वक्फ की सम्पत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, वर्तमान के अधिनियम में अपील का प्रावधान, ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। गोगोई जी यह दृष्टि-भ्रम खड़ा कर रहे थे कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता है। रिट के अधिकारों का उपयोग करके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में मूल मालिक को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रिट के जुरिस्डिक्शन बहुत ही सीमित हैं। यह सब जानते हैं कि इसे सीमित कर दिया गया था। यह आप भी जानते हैं। मगर आपको वोट बैंक चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कि कैसे-कैसे कानून आए हैं। मैं बता देता हूँ, अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये सब क्या कानून आ रहे हैं, किस प्रकार के कानून आ रहे हैं।

मान्यवर, इसी सदन में मोदी सरकार ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लायी। इसी सरकार में, पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। इसी सरकार में, जो बजट आए, उसमें गरीबों के लिए गैस, शौचालय, पानी, पाँच लाख रुपए तक का बीमा, पाँच किलो अनाज, बिजली और घर दिये गये।

मान्यवर, ये कंवर्ज़न कानून की बात करते थे और हँसते-हँसते कहते थे, कर्नाटक सरकार कंवर्ज़न कानून लेकर आयी है। सबसे पहला कंवर्ज़न कानून ओडिशा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर आयी थी। मगर उस समय कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की नीति पर नहीं चलती थी, वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी। मध्य प्रदेश और ओडिशा में कंवर्ज़न के खिलाफ कानून कोई लाया, तो वह कांग्रेस पार्टी लायी।

(1840/PC/PS)

मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती हैं। … (व्यवधान)

मान्यवर, सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। … (व्यवधान) वे शौक से करें, मगर लोभ, लालच, भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। … (व्यवधान) किसी गरीब के पास खाना नहीं है, तो क्या खाना देकर उसका धर्म बदलवा दोगे? … (व्यवधान) कोई थोड़ा कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदलवा दोगे? … (व्यवधान) ऐसा नहीं होगा। … (व्यवधान)

आपने भी कानून पास किए हैं। … (व्यवधान) आप नए-नए आए हो, आपको मालूम नहीं है। … (व्यवधान) मान्यवर, इनको मालूम नहीं है, ये अभी-अभी, पांच-सात साल से आए हैं। … (व्यवधान) ये कानून कांग्रेस पार्टी ने पास किए थे। … (व्यवधान)

मान्यवर, हमने अपील का प्रावधान भी आगे बढ़ाया और गैर-मुसलमानों के द्वारा की गई संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को भी लगने से मना कर दिया। … (व्यवधान) उनके लिए चैरिटी

कमिश्नर का कायदा है। … (व्यवधान) प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए है। … (व्यवधान)

मान्यवर, हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया है। … (व्यवधान) ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लैशेज़ आते हैं, वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। … (व्यवधान) यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए दिया गया, ताकि जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी, आप उसको कोर्ट में जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया था। … (व्यवधान) मान्यवर, हमने उसे निकाल दिया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि बिल पर चर्चा नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया था, जिसके कारण यह बिल लाना पड़ा, उस बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी। … (व्यवधान) दोनों सदनों को मिलाकर साढ़े-पांच घंटे चर्चा हुई थी। … (व्यवधान) इस बिल में, दोनों सदन को मिलाकर, 16 घंटे चर्चा हो रही है। … (व्यवधान)

इसके अलावा डिमांड की गई कि समिति बनाओ। समिति भी बनाई, 38 मीटिंग्स हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए, वक्फ बोर्ड्स की संख्या, 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड उपस्थित हुए, 15 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आए, आठ सांसद हुए, विधायक-विधान परिषद सात हुए, तीन अध्ययन दौरे किए गए और पांच अल्पसंख्यक आयोगों को बुलाया गया। … (व्यवधान)

इस सबसे 97.27 लाख, करीब-करीब एक करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन/ऑफलाइन आए। … (व्यवधान) इसकी मीमांसा करके यह कानून बना है। … (व्यवधान) आप ऐसे पूरी प्रक्रिया को खारिज नहीं कर सकते हो। … (व्यवधान) आप साढ़े-पांच घंटे की जो प्रक्रिया कर रहे थे, वह बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? हम 16 घंटे चर्चा करते हैं। आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है। … (व्यवधान) किसी परिवार की यहां नहीं चलती है। … (व्यवधान) ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, ये किसी की कृपा से नहीं आए हैं। … (व्यवधान) जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वह रखेंगे। … (व्यवधान)

मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि यह मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में, वर्ष 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे, उनमें अपील का प्रोविजन था। … (व्यवधान) अब मैं कहना चाहता हूं कि 83(9) में है कि "अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय के आदेश के विरुद्ध, चाहे वह अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती।" इसका मतलब आपने अपील का प्रोविजन रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण, उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकारी अधिसूचना, जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद की एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। … (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे यह बताइए कि अभी फैशन संविधान की किताब लहराने का है। … (व्यवधान) इस संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? … (व्यवधान)

(1845/CS/SMN)

कोई भी फैसला हो, देश की अदालत उस फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी? नागरिक ग्रीवांसेज लेकर कहाँ जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई, वह कहाँ जायेगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने यह किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवांसेज है, आइदर ऑल साइड से और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए ही तो अदालतें बनी हैं।

मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया कि माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्यों धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई कैसे बोल सकते हैं कि हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

मान्यवर, हमने तो खैर वक्फ से छेड़खानी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है। मगर वक्फ के लिए भी क्या-क्या जजमेंट आये हैं? सैयद फजल फुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10-11-2008 को केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्युटरी बॉडी है। यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसकी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है। यह केरल हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो मुतवल्ली पर भी कहा है, मगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है, वही रखेंगे।… (व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने कहा कि एक मुतवल्ली के कर्तव्य, वह विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे हैं।… (व्यवधान) ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुईं।… (व्यवधान) वर्ष 2013 में अन्यायी कानून आया।… (व्यवधान) आप करने दीजिए।… (व्यवधान) शांत हो जाएंगे।… (व्यवधान) ये 2026 के कारण डरे हुए हैं।… (व्यवधान) इसका और कुछ कारण नहीं है।… (व्यवधान) अक्टूबर में चुनाव है।… (व्यवधान) वर्ष 2025 में जो चुनाव है, इसके कारण डरे हुए हैं।… (व्यवधान) बैठ जाओ।… (व्यवधान) भाई, बैठ जाओ।… (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : अमित शाह जी, आप कह दीजिए कि पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी।… (व्यवधान) 77 से ज्यादा सीटें ला सकते हैं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए।… (व्यवधान) बंगाल में आकर कहूँगा, यह राजनीतिक हिसाब-किताब का अखाड़ा नहीं है।… (व्यवधान) छाती ठोक कर कहूँगा कि ज्यादा सीटें आएंगी।… (व्यवधान) वकील साहब, बैठ जाइए।… (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : हमारे योगी जी के बारे में भी बता दीजिए।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : वे भी रिपीट होने वाले हैं।… (व्यवधान)

आप बैठ जाइए।… (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 1913 से लेकर वर्ष 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल एकड़ में भूमि, सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ थी। मेरी विनती है कि सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनें। वर्ष 1913 से

वर्ष 2013 तक 18 लाख एकड़ थी और वर्ष 2013 से वर्ष 2025 तक, यह कानून बनने का परिणाम यह आया कि और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई है।

(1850/RV/SM)

मान्यवर, 39 लाख एकड़ जो भूमि है, उसमें 21 लाख एकड़ भूमि वर्ष 2013 के बाद हुई। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लीज़ पर दी गयी सम्पत्तियां 20,000 थीं और वर्ष 2025 में रिकॉर्ड के हिसाब से, यह गलत भी हो सकता है, यह शून्य हो गयी। फिर ये सम्पत्तियां कहां गयीं? वे बेच दी गयीं। किसकी परमिशन से ये बेची गयीं?

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि केरल के और देश भर के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया; कैथोलिक काँग्रेस, केरल; भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा; केरल चर्चों की संयुक्त परिषद; सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और कहा कि वर्ष 2013 का संशोधन अन्यायी है, यह हम अकेले नहीं कह रहे हैं।

मान्यवर, इसी एक्ट में हमने एक बात कही है कि वक्फ बोर्ड का जो योगदान था, उसे 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अब ये जो कह रहे हैं, क्या वे मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में कर रहे हैं? अगर हमने इसे कम करके 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया तो यह कहां जाएगा? वह वक्फ में ही रहेगा। हमने वक्फ बोर्ड का कम किया है, जो मस्ज़िद चल रही है, उसको हमने 2 प्रतिशत बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं।

मान्यवर, यह बिल जमीनों को सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। पुरातत्व विभाग और ए.एस.आई. की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शिड्यूल-5 और शिड्युल-6 की जो जमीन है, वह सुरक्षित हो जाएगी। निजी सम्पत्ति, जो आम नागरिकों की है, वह भी सुरक्षित हो जाएगी। वक्फ करने के लिए उसका स्वामित्व जरूरी है। अपनी सम्पत्ति का ही दान कर सकते हैं, गांव की सम्पत्ति का दान नहीं कर सकते हैं। वक्फ निजी सम्पत्ति से ही होगा और स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ की सम्पत्ति घोषित करने के जो अधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। नए वक्फ को पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। कई सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं, जो वक्फ के कानून के दायरे के अन्तर्गत नहीं आना चाहते हैं। मुझे बोहरा समाज के लोग मिले थे। बोहरा समाज, अहमदिया समाज, कई सारे ऐसे समुदाय हैं, उनमें शिया भी हैं, पसमांदा समाज के भी कुछ ट्रस्ट्स हैं, उन सभी को मैं आनन्द का एक समाचार देना चाहता हूं कि अब मुसलमान भी ट्रस्ट्स एक्ट के अण्डर अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए कम्पलसरी नहीं है कि वह वक्फ के कानून में जाए, चैरिटी कमिश्नर एक्ट के तहत वह कर सकता है।

मान्यवर, भूमि के रिकॉर्ड का कार्यालय होगा। समाचार-पत्रों में और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी एडवर्टाइज़मेंट दी जाएगी। इसके अन्दर हमने ढेर सारे प्रावधान किए हैं। महिला, शिया, पसमांदा, बोहरा, अहमदिया का हमने इसमें समावेश किया है।

मान्यवर, उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था। यह एक फैशन हो गया है। राम जन्मभूमि पर मन्दिर बनाने की बात आयी तो यह कहा गया कि देश के अन्दर खून की नदियां बह जाएंगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल आया, तो फिर से डर वाली बात कही गयी। सीएए आया तो फिर कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन-जिन ने ऐसा भाषण किया है, अगर एक मुसलमान की भी नागरिकता गयी है, तो आप बता दीजिए।... (व्यवधान)

(1855/GG/RP)

मान्यवर, मुसलमान भी जानता है और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने के लिए है। दो साल हो गए हैं, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखें। इन्होंने कितना झूठ बोला है। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे कि मुसलमानों का यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो रहा है, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा-डरा कर अपना वोट बैंक खड़ा करने का काम किया है। मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हो। आप कह रहे हैं कि यह हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस देश के नागरिक को, किसी भी धर्म का हो, कोई आँच नहीं आएगी। मान्यवर, यह नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है।

मान्यवर, इनको न पिछड़ों की चिंता है, न मुसलमानों की चिंता है। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर काम करते हुए आए हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर के अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। मगर वर्ष 2014 से जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर के विकास की राजनीति इस देश में प्रस्थापित की है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म कीजिए और चुन कर आइए, तीन टर्म मोदी जी को चुना है, तीन और टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, मेरी बात लिख कर रख लो।

मान्यवर, मैं अंत में किरेन रिजिजू जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अभ्यास कर के सारे दूषणों को निकाल कर वक्फ कानून को शुद्ध, पारदर्शी, और उद्देश्यों को समर्पित बनाने का का काम किया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

(इति)